समूह - 1 अनुमोदनार्थ मदें

ई सी : 05:01	अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक व्यवस्थित कहा जाना

5.01.1 अध्यक्ष महोदय ने सदन को व्यवस्थित बतलाया।

ई सी : 05:02	निधन सूचना

कार्यसूची टिप्पणी:

निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु सूचना सदन के समक्ष गहरे शोक के साथ लाई गई:

1. श्री पेम्बा थोन्डुप, सेवानिवृत्त निदेशक, आईपीआर एवं मुख्यमंत्री के प्रति विशेष अधिकारी
2. श्री कमांडिंग दोर्जी तेनजिंग, पुलिस महानिदेशक, सिक्किम सरकार
3. श्री पी सी चक्रवर्ती, सेवा निवृत्त शिक्षिका, टाशी नामग्याल एकेडमी, गंगटोक
4. श्री एस के राय, सिक्किम राज्य से प्रथम लोकसभा सदस्य
5. श्री ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री
6. डॉक्टर दोर्जी , प्रख्यात फिजीशियन , एस टी एम एम अस्पताल, गंगतोक

5.02.1 सदन में गहरे शोक के साथ ऊपर वर्णित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु सूचना को नोट किया तथा मृत आत्माओं के प्रति सम्मान के रूप में 2 मिनट का मौन धारण किया।

ई सी : 05:03	उप कुलपति द्वारा कार्य निष्पादन उल्लेख

कार्यवृत्त

5.03.1 सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रगति पर उपकुलपति के समग्र प्रस्तुतीकरण को नोट किया तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के प्रति अपनी प्रशंसा अभिलेखित किया।

5.03.2 सदन के सम्मानित सदस्यों ने निम्नलिखित प्रेक्षण किया

5.03.3 विश्वविद्यालय छात्रों के सिक्किम एवं अन्य स्थानों दोनों के नामांकन को विधिवत सुनिश्चित करेगा क्योंकि यह एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है।

5.03.4 विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों से सघन अंतर्प्रतिक्रिया करेगा । यह विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के बीच एक यांत्रिक संबद्धता नहीं होनी चाहिए । यह महाविद्यालयों के प्रति गहन अभिज्ञता सुनिश्चित करेगा।

5.03.6 विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों के प्रति साथ ही सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रति भी क्रेडिट स्थानांतरण आदि साधनों के माध्यम से क्रॉस माइग्रेशन हेतु आयोजना पर भी विचार करेगा।

5.03.7 विश्वविद्यालय के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि यह अपने सभी पाठ्यक्रमों के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र प्राप्त कर सके।

5.03.8 विश्वविद्यालय शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों पर नियमित आधार पर यथाशीघ्र भर्ती हेतु विशेष वरियता प्रदान करेगा।

5.03.9 उपरोक्त के प्रति, उपकुलपति ने उत्तर दिया कि सम्मानित सदस्यों के सभी दृष्टिकोण एवं सुझाव पर विधिवत विचार किया जाएगा । उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अगले 2 या 3 वर्षों के अंतराल में विश्वविद्यालय के पास स्थानीय एवं गैर स्थानीय छात्रों का अपने नामांकन में एक अच्छा मिश्रण होगा ।

ई सी : 05:04	कार्यकारी परिषद की दिनांक 12.11.2009 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

5.04.1 दिनांक 12.11.2009 को आयोजित कार्यकारी परिषद की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की सदन द्वारा पुष्टि कर ली गई थी ।

ई सी : 05:05	कार्यकारी परिषद की दिनांक 12.11.2009 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

5.05.1 दिनांक 12 नवंबर 2009 को आयोजित कार्यकारी परिषद की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट सदन द्वारा स्वीकृत की गई।

ई सी : 05:06	परीक्षा पर अध्यादेश में संशोधन

5.06.1 परीक्षा पर अध्यादेश में संशोधन का अनुमोदन करते हुए सदन ने खंड 5.13(5) एवं खंड 5.13(5) (ख) में निम्नलिखित भूल सुधार किया गया, जिन्हें नीचे उल्लेखित किया गया है :

5.06.2 खंड 05.13 के प्रति संशोधन
निम्नलिखित उपखंडों को निर्देशित किया जाएगा[1]

खंड 05.13 (5) पिछले उपखंडों में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय खंड 5(क) (ग) में यथा उल्लेखित सुयोग छात्रों का वर्ग उपस्थिति में छूट देगा, ताकि उन्हें प्रत्येक पाठ्यक्रम की सेमेस्टर समाप्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य होने में अनिवार्य 75% की उपस्थिति प्राप्त हो सके।

---

1. इन उपखंडों को शैक्षणिक परिषद की दिनांक 13 फरवरी 2010 की बैठक की अनुशंसाओं पर विधिवत विचार करते हुए ड्राफ्ट किया गया है

खंड 05.13 (5) (ख) स्पोर्ट्स मीट, युवा उत्सवों, सेमिनार, संगोष्ठी नाटक एवं संगीत प्रतियोगिताओं अथवा किसी अन्य पाठ्यचर्चा सह एवं पाठ्यचर्चा बाह्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए, जिनका अनुमोदन उपकुलपति द्वारा समय समय पर किया गया हो, एवं मामला दर मामला आधार पर राज्य जिला एवं अंतर महाविद्यालय स्तर पर भाग लेने के लिए छात्रों को महाविद्यालय/संस्थान /विश्वविद्यालय से अनुपस्थिति की अवधि हेतु ½ दिन की विधिवत प्राधिकृत उपस्थिति प्रदान की जाएगी। अनुपस्थिति की अविधि किसी एकल इवेंट के लिए एक साथ 7 दिनों एवं संपूर्ण सेमेस्टर में 15 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ई सी : 05:07	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट - पाकिम पलेटिन कॉलेज

कार्यवृत्त

5.07.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विस्तृत विचार किया । निरीक्षण रिपोर्ट में चित्रित स्थितियों पर विचार करते हुए, सदन ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय यह विचार कर सकती है कि वर्ष 2010-11 में माइक्रोबायोलॉजी एवं केमिस्ट्री में और आगे नामांकन नहीं होगा । सदन ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे को इस प्रकार देखा जाएगा कि क्या महाविद्यालय आवेदित किए गए नए पाठ्यक्रमों को चलाने में सक्षम होगा । यह भी उल्लेख किया गया की महाविद्यालय मात्र कोचिंग केंद्र एवं वाहक पट्टे के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

5.07.2 शैक्षणिक परिषद के इस सुझाव के अनुसार की विश्वविद्यालय के पास स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के लिए अलग से अध्यादेश होगा, सदन ने सुझाव दिया कि इस मद को शैक्षणिक परिषद को विस्तृत सुझावों के लिए वापस भेज दिया जाए।

5.07.3 यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय समिति से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात इस मद पर विस्तार से विचार किया जाएगा, जो की माह मई 2010 में महाविद्यालय में भ्रमण करेगी।

ई सी : 05:08	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट- सरकारी महाविद्यालय रेनोक

5.08.1 सदन ने कार्य सूची मध्य पर विस्तृत विचार किया। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के संबंध में सदन ने इसका संज्ञान लिया था तथा द्वितीय निरीक्षण समिति की रिपोर्ट की स्थिति की पुनरीक्षा का निर्णय लिया था, जिसे माह मई 2010 में प्रतिनियुक्त किया जाना है ।

ई सी : 05:09	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट - डम्बर सिंह महाविद्यालय

कार्यवृत्त

5.09.1 सदन ने डम्बर सिंह महाविद्यालय की निरीक्षण समिति रिपोर्ट की गहन विवेचना की एवं इसे नोट किया । इसने मई 2010 के महीने में प्रतिनियुक्त की जाने वाली दूसरी निरीक्षण समिति की रिपोर्ट की स्थिति के साथ पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया।

ई सी : 05:10	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट - नाम्ची सरकारी महाविद्यालय

कार्यवृत्त

5.10.1 सदन ने नाम्ची सरकारी महाविद्यालय की निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विस्तृत विचार किया तथा इसे नोट किया । यह निर्णय लिया गया कि मई 2010 के महीने में प्रतिनियुक्त की जाने वाली दूसरी निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के साथ इसका पुनरीक्षण किया जाए।

ई सी : 05:11	निरीक्षण समिति की रिपोर्ट -सरकारी बी. एड. कॉलेज सोरेंग

कार्यवृत्त

5.11.1 सदन ने सरकारी बी. एड. कॉलेज, सोरेंग की निरीक्षण समिति रिपोर्ट की गहन विवेचना की तथा इसे नोट किया । यह निर्णय लिया गया कि मई 2010 के महीने में प्रतिनियुक्त

की जाने वाली दूसरी निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के साथ इसका पुनरीक्षण किया जाए

5.11.2 सदन ने अन्य बातों के अलावा यह सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम न्यूनतम शिक्षण ढांचागत सुविधाएं विद्यमान हो, संकाय सदस्यों की भर्ती एन सी टी ई मानदंडों के आधार पर कड़ाई से की जाती हो तथा महाविद्यालय में मॉडल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लागू की गई हो ।

ई सी : 05:12	विश्वविद्यालयों परीक्षाओं के संचालन हेतु भुगतान मानदंड

कार्यवृत्त

5.12.1 सदन ने कार्य सूची मध्य पर विचार किया । सदन ने जानना चाहा कि क्या प्रस्तावित मानदंड अन्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण किए जा रहे के साथ समतुल्य है एवं उपकुलपति ने इसे हां में उत्तर दिया । सदन ने सुझाव दिया की परीक्षा में पर्यवेक्षण हेतु अधिक्षकों की नियुक्ति के दौरान विश्वविद्यालय यह अवश्य सुनिश्चित करें कि वह उन महाविद्यालयों से ना हो जहां वे कार्यरत हैं।

5.12.2 उपरोक्त सुझावों के साथ सदन में कार्य सूची मद का अनुमोदन किया।

ई सी : 05:13	परीक्षाओं की व्यवस्था, संचालन एवं पर्यवेक्षण किए जाने पर प्रथम अध्यादेश के प्रति संशोधन - छात्रों में विश्वविद्यालय परीक्षा के संबंध में अनुशासन सुनिश्चित किए जाने के लिए प्रावधान।

5.13.1 सदन ने कार्यसूची पर विचार किया एवं जानना चाहा कि क्या "अनुचित" साधनों में सामूहिक नकल भी सम्मिलित है, जिस पर परीक्षा नियंत्रक ने हां में उत्तर दिया । सदन ने विचार किया कि "अनुचित साधनों" को अध्यादेश में विस्तारपूर्वक परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है।

5.13.2 तत्पश्चात सदन ने प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया ।

ई सी : 05:14	परीक्षा एवं शिक्षा के माध्यम पर अध्यादेश

5.14.1 सदन ने नोट किया कि इस मद पर एक संशोधित कार्यसूची प्रस्तुत की गई है । संशोधित कार्यसूची पर सदन द्वारा विस्तृत विचार किया गया तथा इसका अनुमोदन किया गया।

ई सी : 05:15	सिक्किम विश्वविद्यालय स्वास्थ्य देखभाल योजना (एस यू एच सी)

कार्यवृत्त

5.15.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया। सदन ने कार्यसूची में प्रस्तुत प्रीमियम परिकलन कार्य के स्पष्ट होने तथा बीमा कंपनी द्वारा पुष्टि करवाए जाने की भी इच्छा व्यक्त की। सिक्किम मणिपाल अस्पताल के साथ समूह निधि रखे जाने के संबंध में सदन ने विश्वविद्यालय को इसके लिए अलग से लिखा रखने का अनुदेश दिया। यह भी राय अभिव्यक्त किया कि एस यू छात्रों भी सिक्किम मणिपाल अस्पताल में रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए । सदन ने यह भी जानना चाहा कि क्या सिक्किम मणिपाल अस्पताल के पास मास्टर हेल्थ चेकअप सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए विस्तृत विवरण प्राप्त किया जाएगा।

5.15.2 सदन ने दिनांक 1 अप्रैल 2010 से कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन किया तथा इच्छा व्यक्त की कि इसे वित्त समिति को भी सूचित किया जाए।

ई सी : 05:16	गंगटोक स्थित भूमि अधिग्रहण

कार्यवृत्त

5.16.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया एवं सुझाव दिया कि भूमि क्रय समिति में केंद्रीय लोक कार्य विभाग, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, आदि से सदस्यों को सम्मिलित करके विस्तार किया जाए, ताकि इसकी कार्यप्रणाली अधिक फलदायी हो सके । सदन ने भूमि पर होने वाली अनुमानित लागत पर भी विचार किया तथा विश्वविद्यालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ निधियों के प्रावधान हेतु पत्राचार करने का निर्देश दिया ।

ई सी : 05:17	सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की प्राथमिक सांविधि के प्रति संशोधन - उपकुलपति

कार्यवृत्त

5.17.1 सदन ने कार्य सूची मद पर विचार किया तथा अल्प संसोधन के साथ प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया संशोधित अंश का उल्लेख किया गया है:

प्रस्तावित धारा 2(4)

उपकुलपति उस तारीख से 5 वर्षों के कार्य कार्यकाल हेतु कार्यालय का धारण करेंगे, जिस पर वे अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं/करती हैं अथवा जब तक की वे 70 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं/करती हैं , जो भी निकटतम हो । वह दूसरे कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य होंगे/होंगी जब तक की वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं/करती है।

ई सी : 05:18	छात्रों को वित्तीय सहायता पर संशोधित अध्यादेश

कार्यवृत्त

5.18.1 सदन ने पटल पर प्रस्तुत संशोधित अध्यादेश का अनुमोदन किया।

ई सी : 05:19	वर्ष 2010-11 के लिए महाविद्यालयों का संबद्धन

कार्यवृत्त

5.19.1 सदन ने उनके समक्ष प्रस्तुत कार्य सूची मद का अनुमोदन किया, जिसमें निर्धारित सभी वांछनीय शर्तों की पूर्ति होने पर एक अधिक वर्ष अर्थात 2010 -11 के लिए महाविद्यालयों के प्रति संबद्धन के प्रावधानों को प्रदान किया गया था ।

समूह - II संपुष्टि अपेक्षित मदें

ई सी : 05:20	वर्ष 2008-09 हेतु वार्षिक रिपोर्ट

कार्यवृत्त

5.20.1 सदन ने उपकुलपति द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रति वर्ष 2008-09 के वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने में की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

ई सी : 05:21	परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति

5.21.1 सदन ने श्री श्रीकांत महापात्रा की प्रतिनियुक्ति के आधार पर परीक्षा नियंत्रक के रूप में की गई नियुक्ति की संपुष्टि की।

ई सी : 05:22	शिक्षण एवं गैर शिक्षण कार्मिक सदस्यों की नियुक्ति

कार्यवृत्त

5.22.1 सदन ने कार्यसूची मद में यथा रिपोर्ट की गई शिक्षण एवं गैर शिक्षण कार्मिक सदस्यों की नियुक्तियों की संपुष्टि की।

समूह - III सूचनार्थ रिपोर्ट की गई मदें

ई सी : 05:23	मानसून (दिसम्बर 2009) परिणाम

कार्यवृत्त

5.23.1 सदन ने मदसूची में रिपोर्ट किए गए मानसून (दिसंबर 2009) परिणामों को नोट किया।

ई सी : 05:24	सिक्किम सरकार द्वारा मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना हेतु प्रस्ताव

कार्यवृत्त

5.24.1 सदन ने कार्यसूची मद में सिक्किम सरकार द्वारा मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना में रिपोर्ट किए गए गतिविधियों को नोट किया ।

ई सी : 05:25	पाठ्यचर्चा विकास समितियों का गठन

कार्यवृत्त

4.25.1 सदन ने शैक्षणिक सत्र 2010-11 से आरंभ किए जाने वाले ने पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्चा विकास समितियों के गठन को नोट किया ।

ई सी : 05:26	वर्ष 2010 हेतु शैक्षणिक कैलेंडर

कार्यवृत्त

5.26.1

सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत वर्ष 2010 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर का अनुमोदन किया ।

ई सी : 05:27	जुलाई 2010 से आरंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र के प्रति नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा

कार्यवृत्त

5.27.1 सदन ने जुलाई 2010 से आरंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र के प्रति नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा रखे जाने पर कार्य सूची मद पर विचार किया।

ई सी : 05:28	परियोजना/ शोध प्रबंध पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मार्गदर्शन

कार्यवृत्त

5.28.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत परियोजना /शोध प्रबंध पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मार्गदर्शन पर विचार किया एवं इसे नोट तथा अनुमोदन किया।

ई सी : 05:29	यांग्यांग स्थित भूमि अधिग्रहण

कार्यवृत्त

5.29.1 सदन ने उनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद पर विस्तृत विचार किया । अध्यक्ष द्वारा भी सदन में माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ नई दिल्ली में उनके निवास स्थान दिनांक 8 जनवरी 2010 को हुई बैठक सहित इस मुद्दे पर हुई विभिन्न गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया । अध्यक्ष ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को यांग्यांग स्थित सिक्किम विश्वविद्यालय कैंपस का नींव रखने के लिए भी आमंत्रित किया तथा माननीय प्रधानमंत्री ने उनके अनुरोध को मान लिया। सदन ने इस को नोट किया।

ई सी : 05:30	पदों का पुनर्पदनामित किया जाना

कार्यवृत्त

4.30.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत पदों को पुनर्पदनामित किए जाने हेतु कार्य सूची मद पर विचार किया। सदन द्वारा यह सुझाव दिया गया की समकालीन पदनामों के विरुद्ध प्रस्तावित नए

पद नामों को कार्यात्मक पदनाम कहा जाएगा उपरोक्त सुझावों के साथ सदन में पुनर्पदनाम प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

ई सी : 05:31	महाविद्यालयों से संबद्धन शुल्क प्रभारित किए जाने पर मार्गदर्शन

कार्यवृत्त

4.31.1 इस मद को विलंबित किया गया

ई सी : 05:32	दिनांक 28 फरवरी 2010 की स्थिति के अनुसार शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की स्थिति

कार्यवृत्त

4.32.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत दिनांक 28 फरवरी 2010 की स्थिति के अनुसार शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के विवरण को नोट किया।

ई सी : 05:33	सामाजिक हिंसा एवं पुलिस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

कार्यवृत्त

5.33.1 सदन ने इसे नोट किया

ई सी : 05:34	अध्य महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय

5.34.1 चर्चा के लिए और कोई मद नहीं होने के कारण अध्य महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई ।

16ह0
(पी वी रवि)
कार्यकारी रजिस्ट्रार एवं वित्त अधिकारी
सचिव, कार्यकारी परिषद